कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्याःएम0ई0–3 / यू0जी0–2024 / 2682 लखनऊ दिनांक 26/11/2024

यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 की स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु च्वाइस फिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

- *निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि च्वाइस फिलिंग के पूर्व सम्बन्धित कालेज के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।*

- शैक्षणिक सत्र 2024–25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, गैर–अल्पसंख्यक कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 28.10.2024, जो विभागीय वेबसाईट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही Choice Fill करें।

- शैक्षणिक सत्र 2024–25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक कालेज मेडिकल / डेण्टल कालेजों से लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) विभागीय वेबसाईट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही Choice Fill करें।

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के अन्तर्गत स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण / सिक्योरिटी धनराशि जमा की गयी है एवं उनके Documents Online Verification के उपरान्त वैध पाये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह है।

- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन Choice Fill की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा Choice Lock करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।
- स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड से अनावंटित(Unallotted) / अप्रवेशित(Not Admitted) एवं त्याग–पत्र(Resign) सीटें Clear-cut Vacancy के तौर पर प्रदर्शित की जायेगी।

- स्पेशल स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को Seat Against Cancellation (SAC) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC सीटें एक प्रकार की Virtual vacancies है, जिसके अन्तर्गत च्वाईस–फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के रिक्त सीटो के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्याःआई0/700717/2024, दिनांक 26.07.2024 में निहित तालिकानुसार आमेलित(Merge) करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** तथा **www.upneet.gov.in** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।

संख्याःएम0ई0–3/यू0जी0–2024/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

कृते महानिदेशक।